न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 24/2019

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी
श्री हीरालाल पुत्र श्री जैसाराम जाति मेघवाल राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,सिरोही
निवासी मोहब्बतननगर तहसील व जि.सिरोही

1– प्राथी की ओर से वकील श्री पदमाराम चौहान
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश दिनांक 30–9–2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दि 20–5–2019 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्राथी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मौजा मोहब्बतनगर पटवार हल्का मोहब्बतनगर तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खसरा नंबर 1059 रकबा 0.3500 हेक्टेयर किस्म बारानी 3 आई हुई है। उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी का नाम कालुराम पुत्र जैसाजी जाति मेघवाल राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज किया गया है लेकिन प्रार्थी का नाम वास्तविक सही हीरालाल पुत्र जैसाजी मेघवाल है। प्रार्थी के पिता जैसाजी की मृत्यु होने के बाद जैसा के उत्तराधिकार मे उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण दर्ज करवाते समय प्रार्थी उस समय नाबालिंग था जो प्रार्थी का नामान्तकरण उनके कुटुम्बी भाईयों ने हीरालाल के स्थान पर कालुराम पुत्र जैसाजी दर्ज करवाया गया है जो गलत एवं विधि विरूद्व है जो उक्त नाम कालुराम के स्थान हीरालाल दर्ज कराया जाना आवश्यक है। उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी स्थानीय पटवारी से प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि मेरी कृषि भूमि मे मेरा नाम हीरालाल के स्थान पर कालुराम गलत दर्ज हुआ है। जिसकी रिर्पोट राजस्व लोक अदालत मोहब्बतनगर केम्प मे दिनांक 28–5–2018 को प्रभारी अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसकी जांच स्थानीय पटवारी व तहसीलदार साहब सिरोही से मंगवाई गई थी जो उक्त जिांच रिर्पोट मे पटवारी द्वारा जांच रिर्पोट पेश की गई है, हीरालाल पुत्र जैसाराम दर्ज करवाना चाहता है लेकिन कालुराम व हीरालाल नाम मे काफी अंतर होने से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सक्षम न्यायालय से संबंधित होने से न्यायालय मे नाम शुद्वि का व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने हेतू प्रार्थी को आपके स्तर पर कार्यवाही करने का सूचित किया जाने से उक्त जांच रिर्पोट के साथ प्रार्थी के नाम से समस्त दस्तावेज हीरालाल पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल बने हुये है जो राशनकार्ड,आधार कार्ड,निर्वाचन कार्ड, व स्कूल के दस्तावेज बने हुये है इसलिये उक्त नाम कालुराम के स्थान पर हीरालाल दर्ज किया जाना आवश्यक होने से उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान के न्यायालय मे प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा मोब्बतनगर पटवार हल्का मोहब्बतनगर तहसील व जिला सिरोही के खसरा नंबर 1059 की कृषि भूमि मे प्रार्थी का नाम कालुराम पुत्र जैसाराम के स्थान पर हीरालाल पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल राजस्व रेकर्ड मे शुद्विकरण करवाने का आदेश प्रदान करवाना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे मौजा मोहब्बतनगर की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या नया 91 खसरा नंबर 1059 रकबा 0.3500 हेक्टेयर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दिनांक 28–8–2018 मय जमाबंदी आधार कार्ड राशनकार्ड व निर्वाचन पहचान पत्र तहसीलदार सिरोही का पत्र दिनांक 4–7–2018 व पटवारी मोहब्बतनगर की रिर्पोट दि 27–5–2018 की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्ट्यॉ सहमत होने से न्यायालय मे दिनांक 20–5–2019 दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये ।

इस न्यायालय मे दिनांक 27–9–2019 को विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी द्वारा सीधी अंतिम बहस सुनने का निवेदन करने से न्यायहित मे वकील प्रार्थी की एक तरफा अंतिम बहस सुनी गई । बहस के दौराने वकील प्रार्थी ने नामान्तकरण संख्या 1325 व जमाबंदी संवत 2050 से 2053 की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की जिन्हे शामिल मिसल किया गया ।

हमने विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे मौजा मोहब्बतनगर की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या नया 91 खसरा नंबर 1059 रकबा 0.3500 हेक्टेयर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दिनांक 28–8–2018 मय जमाबंदी आधार कार्ड राशनकार्ड व निर्वाचन पहचान पत्र तहसीलदार सिरोही का पत्र दिनांक 4–7–2018 व पटवारी मोहब्बतनगर की रिर्पोट दि 27–5–2018 की तथा नामान्तकरण संख्या 1325 व जमाबंदी संवत 2050 से 2053 की प्रमाणित प्रतियॉ का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह जाहिर होता है कि प्रार्थी हीरालाल पुत्र जैसारामजी मेघवाल तथा कालुराम पुत्र जैसारामजी मेघवाल एक ही व्यक्ति है तथा प्रार्थी के कुटुम्बी भाईयो ने जब प्रार्थी नाबालिंग होगा उस वक्त प्रार्थी का गलत नाम कालुराम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवा दिया जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड ,निर्वाचन पहचान पत्र मे प्रार्थी का सही नाम हीरालाल पुत्र जैसारामजी मेघवाल दर्ज है उक्त सभी के आधार पर यह स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी का सही नाम हीरालाल पुत्र जैसारामजी मेघवाल है लेकिन पुराने राजस्व रेकर्ड मे परिवार के कुटुम्बी भाईयो व राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से प्रार्थी कालुराम पुत्र जैसारामजी गलत नाम दर्ज हो गया है। उक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का सही नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा प्रार्थी के उक्त नाम की त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा भविष्य मे प्रार्थीगण मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा भविष्य मे उक्त मामले मे कानूनी उलझने पैदा हो सकती है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि मौजा मोहब्बतनगर पटवार हल्का मोहब्बतनगर तहसील सिरोही के खसरा नंबर 1059 रकबा 0.3500 हेक्टेयर की वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थी का दर्ज गलत नाम कालुराम पुत्र जैसारामजी मेघवाल के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम हीरालाल पुत्र जैसारामजी मेघवाल सही दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे संशोधन कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट एक

लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

सप्ताह मे इस न्यायालय मे आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30–9–2019 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम,व न्यायालय की गोल मुहार से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.30 19:24:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: